कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/प्राशि/पंविप/5–8/MSRA/सामान्य/2024–25 दिनांकः यथा हस्ताक्षर

1. प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
समस्त।

2. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,
समस्त।

विषयः— मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान (MSRA)—पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन प्रथम के आयोजन संबंधी दिशा निर्देशों के संबंध में।

प्रसंगः—निदेशक माध्यमिक शिक्षा का पत्रांकः शिविरा/माध्य/गुण एवं प्रशि/MSRA—दक्षता आधारित आकलन/61186/2024—25 दिनांक 12.01.2025

उपर्युक्त विषयांतर्गत एवं प्रसंगानुसार लेख है कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान (MSRA) स्कूल शिक्षा विभाग की एक महत्त्वाकांक्षी सस्टेनेबल रेमेडियल योजना है। इसके अंतर्गत बिहाइंड ग्रेड विद्यार्थियों को स्वयं की कक्षा के स्तर पर लाने के लिए राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों के कक्षा 3 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों का वर्ष में दो बार कम्पीटेन्सी बेस्ड आकलन किया जाना है। इस क्रम में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान (MSRA)—पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन प्रथम का आयोजन दिनांक 20 जनवरी से 22 जनवरी 2025 तक होगा। आकलन की इस प्रक्रिया के राज्य भर में समयबद्ध एवं समरूप संचालन के लिए कतिपय दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं—

पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन—1 की समय सारणी

क्र.सं.	दिनांक	वार	समय	कक्षा	विषय
1	20.01.2025	सोमवार	11.00 A.M. से 12.00 P.M.	3,4,5,6,7,8	हिन्दी
2	21.01.2025	मंगलवार	11.00 A.M. से 12.00 P.M.	3,4,5,6,7,8	अंग्रेजी
3	22.01.2025	बुधवार	11.00 A.M. से 12.00 P.M.	3,4,5,6,7,8	गणित

1. प्रश्नपत्र संग्रहण एवं वितरणः—

1. प्राचार्य डाईट समस्त अपने जिले के लिए उपयुक्त संग्रहण एवं वितरण केन्द्र नियत करेंगे जो स्वयं डाईट या राजकीय विद्यालय का भवन हो सकता है।
2. प्राचार्य डाईट समस्त यह सुनिश्चित करें कि 33 जिला व्यवस्था अनुसार ही गोपनीय सामग्री का संग्रहण एवं वितरण केन्द्र नियत करते हुए संपूर्ण व्यवस्था संपादित करें।

Signature valid

Digitally signed by Narendra Kumar Soni
Designation : District Education Officer
Date: 2025.01.14 13:47:50 IST
Reason: Approved

2. प्राचार्य डाइट समस्त अपने जिले के लिए एक उपयुक्त संग्रहण एवं वितरण केन्द्र नियत करेंगे जो कि स्वयं डाइट अथवा कोई राजकीय विद्यालय का भवन हो सकता है। प्रथमतया यह संग्रहण एवं वितरण केन्द्र जिला मुख्यालय पर ही स्थित होना अपेक्षित है, परंतु स्थानीय अनुकूलता के दृष्टिगत यह जिले में किसी अन्य स्थान पर भी नियत किया जा सकेगा। यहां उल्लेखनीय है कि संग्रहण एवं वितरण केन्द्र का चयन करते समय प्राचार्य डाइट सुरक्षा, सहज व सुगम परिवहन की दृष्टि से पूर्ण आश्वस्त होकर ही निर्णय लें।
3. गोपनीय मुद्रक द्वारा 33 जिलों को प्रश्नपत्र पैकेट्स की आपूर्ति दिनांक 14 से 16 जनवरी 2025 तक की जाएगी। प्राचार्य डाइट द्वारा संग्रहण एवं वितरण केन्द्र पर नियुक्त अधिकारी/कार्मिक उक्त अवधि में अपने मोबाइल फोन चालू रखेंगे ताकि आपूर्तिकर्त्ता से वार्त्तालाप हो सके और प्रश्नपत्र आपूर्ति निर्बाध सम्पन्न हो जाए। किस जिले में किस दिनांक को प्रश्नपत्र आपूर्ति संभावित है, की जानकारी पंजीयक कार्यालय द्वारा समस्त प्राचार्य डाइट को यथासमय प्रदान कर दी जाएगी।
4. संग्रहण एवं वितरण केन्द्र पर सुरक्षा के दृष्टिगत कार्मिकों की राउण्ड द क्लॉक ड्यूटी के आदेश प्रथमतः प्राचार्य डाइट द्वारा जारी किए जाएंगे अथवा स्थानीय आवश्यकता और प्रकृति के अनुरूप प्राचार्य डाइट के प्रस्तावित करने पर इस आशय के आदेश संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जारी करेंगे।
5. संग्रहण एवं वितरण केन्द्र पर प्रश्नपत्रों के पैकेट/बॉक्स पीईईओ वार/यूसीईओ वार प्राप्त होंगे। शालादर्पण पोर्टल से लिए गए डाटा के आधार पर यह पैकिंग करवाई गई है। अतः उक्त तिथि को जो विद्यालय पोर्टल पर किसी भी पीईईओ/यूसीईओ के साथ मैप नहीं थे के लिए प्रत्येक जिले में एक अलग पैकेट/बॉक्स होगा जिस पर **नो पीईईओ** या **विदाउट पीईईओ** अंकित होगा।
6. नोपीईईओ या विदाउट पीईईओ अंकित पैकेट/बॉक्स को जिला संग्रहण एवं वितरण केन्द्र पर प्राप्त होते ही खोला जाएगा तथा उसमें रखी गई विद्यालयों की सूची का अवलोकन कर उनके पीईईओ/यूसीईओ का निर्धारण किया जाएगा। इसके बाद इन सभी विद्यालयों के समस्त प्रश्नपत्रो के पैकेट्स को संबंधित पीईईओ/यूसीईओ के पैकेट/बॉक्स के साथ टैग कर दिया जाए ताकि वितरण दिनांक 17.01.2025 से पहले कोई भी विद्यालय ऐसा न बचे जो किसी पीईईओ/यूसीईओ के साथ मैप न हो।
7. जिले के संग्रहण एवं वितरण केन्द्रों द्वारा निर्धारित तिथि को प्राचार्य डाइट की उपस्थिति और मॉनेटरिंग में प्रश्नपत्रों के पैकेट/बॉक्स का वितरण जिला समान परीक्षा की प्रक्रिया के अनुरूप समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (सीबीईओ) को किया जाएगा। इस प्रक्रिया में प्राचार्य डाइट स्थानीय परिस्थिति व आवश्यकता के अनुरूप जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (प्रारम्भिक/माध्यमिक) को संग्रहण एवं वितरण केन्द्र पर उपस्थित रहने हेतु कहने के लिए अधिकृत होंगे।

Signature valid

Digitally signed by Narendra Kumar Soni
Designation : District Education Officer
Date: 2025.01.14 15:47:50 IST
Reason: Approved

8. प्रत्येक सीबीईओ व्यक्तिशः स्वयं के परिक्षेत्र के पैकेट/बॉक्स प्राप्त करेंगे, वे इस प्रक्रिया में अपने साथ दो अधिकारी/कार्मिक ला सकते हैं। वे अपने परिक्षेत्र के सभी पीईईओ/यूसीईओ के पैकेट/बॉक्स प्राप्त करने के साथ–साथ **नो पीईईओ** या **विदाउट पीईईओ** अंकितपैकेट/बॉक्स में रखे गए उन विद्यालयों के प्रश्नपत्र भी प्राप्त कर लें जो कि उनके परिक्षेत्र मे स्थित हैं तथा शालादर्पण पोर्टल पर किसी भी पीईईओ/यूसीईओ के साथ मैप नहीं हैं। साथ ही सीबीईओ रिजर्व पैकेट प्राप्त कर सुरक्षित रखना सुनिश्चित करेंगे।
9. समस्त सीबीईओ दिनांक 16.01.2025 को अपने परिक्षेत्र के पीईईओ/यूसीईओ को प्रश्नपत्र पैकेट/बॉक्स का वितरण करेंगे। वे इसके साथ–साथ **नो पीईईओ** या **विदाउट पीईईओ** अंकित पैकेट/बॉक्स में रखे गए विद्यालयों के प्रश्नपत्र भी संबंधित पीईईओ/यूसीईओ को वितरित करेंगे।
10. प्रत्येक पीईईओ/यूसीईओ दिनांक 16.01.2025 एवं 17.01.2025 को अपने क्षेत्र के सभी राजकीय विद्यालयों को उनके प्रश्नपत्र लिफाफे (Envelopes) वितरित करेंगे। पीईईओ/यूसीईओ के पैकेट/बॉक्स में उनके क्षेत्राधीन समस्त राजकीय विद्यालयों हेतु कक्षा 3 से 8 तक के लिए हिन्दी, अंग्रेजी व गणित विषयों के बंद प्रश्नपत्र पैकेट्स होंगे। पीईईओ/यूसीईओ के पैकेट/बॉक्स में रखे गए प्रश्नपत्रों का विवरण बॉक्स के अंदर एक चार्ट/शीट के रूप में प्राप्त होगा जिसकी सहायता से उनका आगे सहजता से वितरण किया जा सकेगा।
11. मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान (MSRA) के अन्तर्गत पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन प्रथम में कक्षा 3 से 8 तक तीन विषयों–हिन्दी, अंग्रेजी एवं गणित के अतिरिक्त/रिजर्व के प्रश्नपत्र पैकेट C.B.E.O रिजर्व के रूप में उपलब्ध होंगे जिन्हें संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पास सुरक्षित रखे जावें। जिनका उपयोग प्रश्नपत्र कमी होने पर परीक्षा दिवसों पर उड़न दस्तों को प्रदान कर पूर्ति की जावे।
12. डाईट द्वारा परीक्षा दिवसों में जिला नियंत्रण केन्द्र की स्थापना की जावे जिसकी सूचना जरिए मेल panjiyak8ppp@gmail.com पर प्रेषित करें।

13. शिक्षकों व परीक्षार्थियों के लिएः–

1. कक्षा 3 से 8 के लिए हिन्दी, अंगेजी और गणित विषयों का आकलन किया जाएगा।
2. प्रश्नपत्र हल करने की अवधि एक घंटा रहेगी।
3. प्रत्येक विषय में कक्षा 3 से 8 तक के लिए प्रश्नपत्र में 20 प्रश्न होंगे।
4. कक्षा 3 से 5 के परीक्षार्थियों के लिए प्रश्नपत्र और उत्तरपत्रक एक ही पृष्ठ पर मुद्रित होगा।
5. कक्षा 6 से 8 के परीक्षार्थियों के लिए प्रश्नपत्र और उत्तरपत्रक (ओसीआर शीट) पृथक पृथक मुद्रित होंगे। ओसीआर शीट एवं प्रश्नपत्र चार सीरीज (A,B,C,D) में उपलब्ध होंगे। अतः विद्यार्थी को समान सीरीज के प्रश्नपत्र एवं ओसीआर ही देना सुनिश्चित करें

Signature valid
Digitally signed by Narendra Kumar Soni
Designation : District Education Officer
Date: 2025.01.14 16:47:50 IST
Reason: Approved

6. परीक्षार्थी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर रफ कार्य अलग से एक शीट पर किया जाए, प्रश्नपत्र और उत्तर पत्रक पर रफ कार्य करना निषिद्ध है।
7. परीक्षार्थी को एक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प दिए जाएंगे, कक्षा 3 से 5 के परीक्षार्थी द्वारा सही विकल्प के चौकोर बॉक्स में पैंसिल द्वारा सही का निशान बनाना होगा तथा कक्षा 6 से 8 के परीक्षार्थी द्वारा ओ.सी.आर. में पेन्सिल से सही का निशान बनाना होगा ।
8. कक्षा 3 से 8 के लिए गणित विषय का प्रश्नपत्र द्विभाषी रूप में होगा।

14. बैठक व्यवस्था:—

1. परीक्षा केन्द्र पर अन्य समस्त परीक्षाओं की तरह ही कक्षा कक्षों में उपयुक्त दूरी रखते हुए बैठक व्यवस्था की जाए।
2. बैठक व्यवस्था करते समय केन्द्राधीक्षक यह ध्यान रखें कि एक कक्षा कक्ष में केवल एक ही कक्षा के परीक्षार्थियों को बैठने के स्थान पर दो या अधिक कक्षाओं के परीक्षार्थियों को पंक्तिवार मिलाकर बैठाया जाए।
3. संस्था प्रधान परीक्षा अवधि के दौरान वीक्षकों की भूमिका, बैठक व्यवस्था, प्रश्नपत्रों के प्रति विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया पर ध्यान देकर परीक्षा की शुचिता व विश्वसनीयता बनाए रखें।

15. वीक्षकों के लिए:—

1. परीक्षा केन्द्र पर कक्षाकक्ष में बैठक व्यवस्था के अनुरूप परीक्षार्थियों को बैठाना।
2. परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र (आकलन पत्र) को समझाने मे आ रही कठिनाइयों का शुचिता के साथ निस्तारण करना। सही अर्थों में कहें तो वीक्षक परीक्षार्थियों को प्रश्न समझने में सहायता करें ना कि वे परीक्षार्थियों को प्रश्नों के उत्तर बताएं।
3. वीक्षक ध्यान रखेंगे कि परीक्षार्थियों द्वारा प्रश्नपत्र और ओसीआर शीट को मोड़ा या फोल्ड नहीं किया जाए। वे स्वयं भी संग्रहण के समय प्रश्नपत्र और ओसीआर शीट को सीधा रखेंगे।

16. प्रश्नपत्र (आकलन पत्र) को स्कैन करना:—

1. प्रत्येक आकलन पत्र की परीक्षा समाप्त होने के तत्काल पश्चात संबंधित शिक्षक द्वारा **शाला दर्पण शिक्षक एप** पर परीक्षार्थियों द्वारा चिह्नित आकलन पत्र और ओ.सी.आर. शीट को स्केन कर अपलोड किया जाएगा।
2. शिक्षक ध्यान रखें कि आकलन पत्र और ओ.सी.आर. शीट को स्कैन करने के लिए उसे सीधी सतह पर रखा जाए तथा बैकग्राउंड गहरे रंग का हो वरना स्कैनिंग का कार्य नहीं हो पाएगा।
3. शिक्षक यह भी ध्यान रखें के आकलन पत्र और ओ.सी.आर. शीट को स्कैन करते समय चारों कोने स्क्रीन पर भलीभांति नजर आएं ताकि पूरा एरिया स्कैन हो पाए।

Signature valid

Digitally signed by Narendra Kumar Soni
Designation : District Education Officer
Date: 2025.01.14 13:47:50 IST
Reason: Approved

4. आकलन पत्र और ओसीआर शीट को स्कैन करने की अंतिम दिनांक 25.01.2025 है। अतः इस दिनांक से पूर्व ही शाला दर्पण शिक्षक एप की सहायता से स्कैनिंग का कार्य संपन्न किया जाना है।

<u>टाइम–लाईन</u>

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1	जिला संग्रहण केन्द्रों तक गोपनीय सामग्री की आपूर्ति	14.01.2025 से 16.01.2025
2	जिला संग्रहण केन्द्रों से सीबीईओ को गोपनीय सामग्री का वितरण	15.01.2025 से 16.01.2024
3	सीबीईओ से पीईईओ/यूसीईओ को गोपनीय सामग्री का वितरण	16.01.2025 से 17.01.2024
4	पीईईओ/यूसीईओ से क्षेत्राधीन राजकीय विद्यालयों को गोपनीय सामग्री का वितरण	16.01.2025 से 17.01.2024 तक

(नरेन्द्र कुमार सोनी)
पंजीयक
शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/प्राशि/पंविप/5–8/MSRA/सामान्य/2024–25 दिनांकः यथा हस्ताक्षर

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, निदेशक, प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
2. निजी सहायक, निदेशक, आरएससीईआरटी, उदयपुर ।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक/प्रारंभिक, समस्त।
6. पीईईओ/यूसीईईओ/राजकीय संस्था प्रधान समस्त को पालनार्थ।
7. रक्षित पत्रावली।

पंजीयक
शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ,
राजस्थान, बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Narendra Kumar Soni
Designation : District Education Officer
Date: 2025.01.14 18:47:50 IST
Reason: Approved